न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 53/2016
CIS No. :– TS/16/2020
CNR :– BRWC22–000022–2020

मुसम्मात रमा देवी एवं अन्य बनाम् **राजु कुमार जयसवाल एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23.03.2022	अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी व प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 23.03.2022 के निस्तारण पर बल दिया गया। **निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक**–23.03.2022 वादी द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 23.03.2022 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि आदेश दिनांक–02.02.2022 के अनुपालन में उनके द्वारा वादपत्र में प्रतिस्थापन/संशोधन समय के अन्दर अंकित नहीं किया जा सका है। इसलिए अब प्रतिस्थापन/संशोधन करने की अनुमति की याचना की गयी है। प्रतिवादी द्वारा मौखिक आपत्ति की गयी है। उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेख का सम्यक परिशीलन किया। वादी द्वारा प्रतिस्थापन/संशोधन करने में यद्यपि विलम्ब किया गया है, परन्तु अब वह प्रतिस्थापन/संशोधन करने हेतु तैयार है। अत: मात्र विलम्ब के कारण प्रार्थनापत्र खारिज किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। न्यायहित में विलम्ब माफ कर प्रार्थनापत्र दिनांक 23.03.2022 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** प्रार्थनापत्र दिनांक–23.03.2022 रू० 100/– हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांकित–02.02.2022 के अनुपालन में प्रतिस्थापन/	

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 53/2016
CIS No. :— TS/16/2020
CNR :— BRWC22–000022–2020

मुसम्मात रमा देवी एवं अन्य बनाम् **राजु कुमार जयसवाल एवं अन्य**

लगातार **23.03.2022**	संशोधन अविलम्ब विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर करना सुनिश्चित करें। अभिलेख वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक—30.03.2022 को पेश हो। (मानस कुमार) अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज	